न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 110/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

अरमान सिंह बराड़ पुत्र श्री गुरजिन्द्र सिंह आयु 22 वर्ष जाति जटसिख निवासी – चक 5 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

....वादी

–:: बनाम –::

1. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी– 5 एलएनपी ततहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. शीशपाल कौर पुत्री गुरजिन्द्र सिंह पत्नी श्री बलधीर सिंह जाति जटसिख निवासी– नानकसर बस्ती, फिरोजपूर रोड़, फरीदकोट जिला फरीदकोट (पंजाव)
3. नवकीरत कौर पुत्री गुरजिन्द्र सिंह पत्नी नवदीप सिंह जाति जटसिख निवासी– सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़	वादी
अधिवक्ता श्री रिछपाल सिंह	प्रतिवादी 1 ता 3
पैरोकार राज	(प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक **25.09.2024**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के पिता गुरजिन्द्र सिंह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 5 एलएनपी, पटवार हल्का चक महाराज का, खाता संख्या 19/10 के मुरब्बा नं. 27 में कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी/बाग/खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी जमाबंदी सम्वत 2073 – 2076 संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की उक्त कृषि भूमि उसको अपने पूर्वजो से विरासतन प्राप्त हुई है जो जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। जिसमें वादी का जन्म से हक़ व हिस्सा बनता है जिसे वादी पाने का अधिकारी है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का वादी की माता से काफी समय से मनमुटाव चल रहा है जिसके चलते पंचायत बिरादरी एंव रिश्तेदारों द्वारा वादी एवं वादी की माता को चक 5 एलएनपी के खाता संख्या 19/10 के मुरब्बा नं.27 के किला नं. 1 ता 10 कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी को उसकी नाबालि[illegible] दी गई थी। अब वादी बालिग हो चुका है उक्त 10 बीघो पर वादी [illegible] रिकार्ड में दर्ज न होने की वजह से वादी को काफी कानूनी [illegible] का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए घोषणा एंव बंटवारा करवाना वादी के लिये जरूरी हो गया है। प्रतिवादि[illegible] 2 व 3 की शादीयां की जा चुकी है जो अपने परिवार में [illegible]न्नतापूर्ण अपना जीवन [illegible]र रही है। वादी के हिस्सा की कृषि भूमि वादी के राजस्व रिकार्ड में नाम ना होने की वजह से वादी अपनी काश्तकारी जरूरत को पूरा करने के लिये किसी भी बैंक से ऋण आदि प्राप्त नही कर सकता तथा ना ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसान हित में जारी योजनाओं का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:57:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लाभ भी वादी को नही मिल पा रहा है इसलिए वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि की घोषणा करवाकर खातेदारी अपने हक में जारी करवाकर किलावाईज विभाजन करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 4 लेन्ड होल्डर है इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है । वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 20.06.2024 को घरेलु बंटवारा व कब्जे अनुसार किलावाईज कृषि भूमि का बंटवारा विधिवत रूप से सहमति के आधार पर कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने का निवेदन किया तो वह इस बात से साफ इन्कार हो गया इसलिए वादी के पास श्रीमान न्यायालय में वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है।क वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है जो उचित कौर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है । वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से डिकी किये जाने का निवेदन किया गया :–

(क) कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ इस अमर की डिक्री जारी की जावे कि चक 5 एलएनपी पटवार हल्का चक महाराज का, खाता संख्या 19/10 के मुरब्बा नं. 27 में कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी / बाग / खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 2.530 हैक्टयर की हद तक कलमजन कर वादी को वाके चक 5 एलएनपी के खाता संख्या 19/10 के मुरब्बा नं.27 के किला नं. 1 ता 10 कुल 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर उसके नाम से किलावाईज विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन फरमाया जावे।

(ख) कि वाद व्यय प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो श्रीमान न्यायालय वादी के हक में उचित समझे, वादी को दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि वाद पत्र की मद संख 03 में अंकित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पूर्वजों से विरास्तन प्राप्त हुई है। चक 5 एल एन पी के खाता संख्या 19/10 के मुरबा नम्बर 27 के किल नम्बर 1 ता 10 कुल 2.530 है० जिस पर उसका कब्जा काश्त है। वाद पत्र की मद संख्या 5 स्वीकार है प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की शादिया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे परिवारों में की हुई है, दोनों अपने ससुराल मे खुश व आबाद है। वाद पत्र की मद संख्या 08 में यह कहना गलत है कि दिनांक 20.06.2024 को घरेलू बंटवारा व कब्जानुसार किलावाईज कृषि भूमि का बंटवारा विधिवत रूप से करने को कहा हो। लेकिन प्रतिवादीगण को यदि वादी का वाद स्वीकार कर उसके कब्जानुसार कृषि भूमि का इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही होगा। अतः इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर उसको चक 5 एल एन पी के खाता संख्या 19/10 के मुरबा नम्बर 27 के किला नम्ब 1 ता 10 कुल 2.530 है0 नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अमल दरामद कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण गुरजिन्द्र सिंह, शीशप[illegible] कौर एवं नवनीत कौर को कोई एतराज नही होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:37:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर [illegible]टट [illegible]ब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत ज[illegible] 2076 ग्राम 5 एलएनपी, पटवार क्षेत्र चकमहाराजका, भू.अ.नि. क्षेत्र चकमहाराजका खाता संख[illegible]9/10 की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा विरास्तन साक्ष्य के रूप में जमाबंदी 2022–2023 मुरबा नम्बर 27 की प्रति पेश की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी, एवं जमाबंदी भूमि के विरास्तन साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक आपसी सहमति के स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि चक 5 एलएनपी पटवार हल्का चक महाराज का, खाता संख्या 19/10 के मुरब्बा नं. 27 में कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी/बाग/खाला कृषि भूमि में से वादी अरमान सिंह पुत्र गुरजिन्द्र सिंह को वाके चक 5 एलएनपी के खाता संख्या 19/10 के मुरब्बा नं.27 के किला नं. 1 ता 10 कुल 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 25.09.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:57:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner